


मौजान फंडिंग के अंतर्गत तब तक जब एक्टिव मामले में 700 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी निवारण चुकी है।

संपर्क: श्री. मेघार-इन्डोर
PH: (0731) 2704738, 2702015
संपर्क: मालिका इन्डोर-इन्डोर
PH: 09877111290

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें-

98936 99905, 99935 99031



सर्कल ऑफिस उज्जैन : प्लॉट नं. आरसी-20
आयडीए स्कीम 134, इंदौर (म.प्र.) 452 010
फोन: 0731-2972507, E-mail: coujain@pnb.co.in

आम जनता को
अचल संपत्ति के
ई-नीलामी की सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना आम लोगों को सामान्यतः और श्रद्धा लेने वाले ऋणियों और जमानतदारों को विशेष रूप से यह सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक (सुरक्षित लेनदार) के पास बंधक/प्रभारित की गई निम्न वर्णित अचल सम्पत्तियों, जिनका भौतिक/सांकेतिक कब्जा निम्न विवरण के अनुसार पंजाब नैशनल बैंक (सुरक्षित लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उनके सम्मुख वर्णित दिनांकों पर लिया जा चुका है, का विक्रय ऋणियों और जमानतदारों से पंजाब नैशनल बैंक/सुरक्षित लेनदार की निम्न बकाया राशि की वसूली के लिए वर्तमान में जहां है, जैसा है, जो भी है, जो कुछ भी है के आधार पर दिनांक 24-8-2020 को दोपहर 1.00 से 2.00 बजे के मध्य किया जाएगा। प्रत्येक संपत्ति का आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि, वृद्धि राशि तथा अन्य विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :-

ईएमडी व दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 21.8.2020

ई-नीलामी की दिनांक व समय : 24.8.2020, दोप. 1 से 2 बजे तक (आवश्यकतानुसार 10 मिनट के विस्तार के साथ)

सं.	शुल्की का नाम	संपत्ति का विवरण एवं स्वामी/बंधककर्ता के नाम	किन्चोर्ड नंबर	आंग सूचना दि. कब्जा दिनांक	आरक्षित राशि (₹. लाख में)	ईएमडी	बोली बढ़ाने की राशि
1	जाकिर खोख पिता अब्दुल गनी खोख प्लॉट नं. 8, ईडम्पूरस, प्रमनगर, देवास	प्लॉट नं. 8 ईडम्पूरस पर स्थित मकान प्रेम नगर कॉलोनी, देवास (म.प्र.) 455 001, प्लॉट क्षेत्रफल 38 व.मी., सीमाएं: पूर्व-प्लॉट नं. 40 एवं सड़क, पश्चिम-कॉलोनी रोड, उत्तर-प्लॉट नं. 7 ईडम्पूरस, दक्षिण-प्लॉट नं. 38, स्वामित्व जाकिर खोख पिता अब्दुल गनी खोख।	₹8,65,625.50 +भवा एवं व्यय	8-11-2019 19-3-2020	7.76	0.78	0.10
2	1. मेहराई मोहन देवस (ग्रोप. अजीब खोख पिता जम्बर खोख), 84, चंद्रशेखर मार्ग, आजाद मार्ग, देवास (म.प्र.) 2. जमानतदार-जम्बर खोख पिता हाजी खोख फखर, मकान नं. 38, विष्णु मंदिर, गली नं. 1, बड़ा बाजार, देवास (म.प्र.) 455 001	मकान नं. 38/1 स्थित है विष्णु मंदिर गली नं. 1, देवास। क्षेत्रफल 2008.5 वर्गफीट। सीमाएं: पूर्व-सड़क, पश्चिम-सरकारी गली, उत्तर-बाजीराव का मकान, दक्षिण-इस्माईल का मकान। स्वामित्व जम्बर खोख पिता हाजी खोख फखर (जमानतदार)।	₹18,90,482.00 +भवा एवं व्यय	1-1-2020 19-03-2020	20.88	2.10	0.21
3	श्री गोकुलसिंह देवस ग्रोप. श्री गोकुलसिंह पिता श्री भंवरसिंह चावड़ा, 222, मोतीबंगला, टैकस धर्मशाला के पास, देवास (म.प्र.)	संपत्ति के सभी भाग एवं हिस्सों पर निर्मित प्लॉट नं. 222 (नकूल नं. 189) के भाग पर स्थित मकान, मोतीबंगला, देवास। प्लॉट क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट, सीमाएं: पूर्व-10 फीट सरकारी गली, पश्चिम-सरकारी सड़क, उत्तर-उत्त प्लॉट का शेष भाग, दक्षिण-मकान नं. 221, स्वामित्व श्री गोकुलसिंह पिता श्री भंवरसिंह चावड़ा।	₹21,44,886.88 +भवा एवं व्यय	5-9-2019 14-11-2019	32.00	3.20	0.32
4	मेहराई जयश्री सुर्वेखर पेट्रोसिधम ग्रोप. श्रीमती रजनी उपाध्याय सर्वे नं. 296/4 एएन-309, उज्जैन-अंगार रोड, एएन-27, ग्राम केदार पटिया, जिला उज्जैन (म.प्र.) जमानतदार-श्रीमती सीता रघुवंशी पति श्री श्रीरामसिंह रघुवंशी	सांयिक बंधक आवासीय मकान स्थित है प्लॉट नं. 70 के उत्तरी भाग आजाद नगर कॉलोनी, उज्जैन में श्रीमती सीता रघुवंशी पति श्री श्रीरामसिंह रघुवंशी (जमानतदार) के नाम से। क्षेत्रफल 88.24 व.मी., सीमाएं: पूर्व-गली, पश्चिम-सड़क, उत्तर-प्लॉट नं. 69, दक्षिण-केदार शशिधरम के प्लॉट नं. 70 का शेष भाग।	₹53,24,852.84 +भवा एवं व्यय	4-7-2019 19-9-2019	39.50	3.95	0.40
5	श्री आकाश बागड़ी पिता श्री अशोक बागड़ी एवं श्री अशोक बागड़ी पिता श्री राजाराम बागड़ी, मकान नं. 44, प्रेम परेन्स, एम्आर-5 रोड, उज्जैन (म.प्र.)	संपत्ति के सभी भाग एवं हिस्सों पर निर्मित मकान नं. 44 (दक्षिणी भाग) स्थित है प्रेम एकेड्यू, एम्आर-5 रोड, उज्जैन (म.प्र.) में, क्षेत्रफल 470 वर्गफीट, सीमाएं: पूर्व-अन्य फार्म, पश्चिम-आम रास्ता, उत्तर-मकान नं. 44 का शेष भाग, दक्षिण-अन्य प्लॉट। स्वामित्व श्री आकाश बागड़ी पिता श्री अशोक बागड़ी।	₹11,03,663.00 +भवा एवं व्यय	31-7-2019 22-10-2019	11.50	1.15	0.12

एडवर्टीज-नीलामी बिक्री की निबंधन तथा शर्तें : उक्त बिक्री प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 में निर्धारित निबंधन तथा शर्तें तथा निम्नलिखित मुख्य शर्तों के अनुसार की जाएगी:
(1) संपत्तियों का विक्रय वर्तमान में जहां है, जैसा है, जो भी है, जो कुछ भी है के आधार पर किया जा रहा है। (2) उक्त संपत्तियों में दिया गया सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारियों के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रदान किया गया है और इन्हें किसी भी प्रकार की गलती, त्रुटि या भूल के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं रहेंगे। (3) उक्त सुरक्षित संपत्तियों का विक्रय अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दि. 24-8-2020 को दोपहर 1 से 2 बजे के मध्य <https://www.mstcecommerce.com> पर ऑनलाइन किया जाएगा। (4) उक्त नीलामी की विस्तृत सामान्य शर्तों की जानकारी के लिए कृपया www.ibapi.in पर लॉग इन करें अथवा इनके फोन : 0731-2972507 पर संपर्क करें। (5) सफल बोलीकर्ता को सफल बोली राशि की 25% राशि नीलामी समाप्ति से 24 घंटे की समय अवधि में तथा शेष 75% राशि नीलामी समाप्ति से 15 दिनों में जमा करनी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा की गई राशि/राशियाँ जमा कर ली जाएंगी और विक्रय भी गई संपत्ति के प्रति चुककर्ता क्रेता के सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और बैंक उस संपत्ति का पुनः विक्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा। (6) उक्त नीलामी <https://www.mstcecommerce.com> के माध्यम की जाएगी, अतः इच्छुक बोलीकर्ता को अपना पंजीयन <https://www.mstcauction.com> पर अपने मोबाइल नंबर तथा एमिल आईडी का प्रयोग करते हुए करना होगा और अपना बैंकड बन्कर ईएमडी राशि तथा शेष बोली राशि उसमें भेजें/अंतर/नेफ्ट द्वारा जमा करनी होगी। (7) प्राधिकृत अधिकारी उक्तव्य प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है और किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने/स्थगित करने या ई-नीलामी को बिना किसी कारण बताये रह करके का प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार है।

स्थान : इंदौर
दिनांक: 22-07-2020

प्राधिकृत अधिकारी
पंजाब नैशनल बैंक